

फर्द अहकाम

[नियम 26]

लत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

बनाम

कदमा

नं०

सन्

ख म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>17/12/24 वकील प्राप्ति अर्। वकील प्राप्ति को अप्राप्ति की खिस्ती लखी का अंतिम मोह्रा हिया जाता है कि. 23/1/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)</p> <p>23-1-25 पत्रमाली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। आइ० नं०.....को पेश हो। 12/3/25 <i>[Signature]</i></p> <p>12/3/25 पत्रमाली पेश हुई। वकुलाय उप०। कदम का कार्य स्थगन है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक.....को पेश हो। 28/5/25 <i>[Signature]</i></p> <p>28/05/25 पत्रमाली पेश हुई। दावा वकील वादी की अनु० मे अदम हाजरी अदम पेशी मे खिस्ती हो चुका है। अतः प्रा० पत्रमाली खिस्ती किया जाता है। प्रा० पत्र फेराल होकर नम्बर से कम हो। संलग्न मूल वादी रहे।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)</p>	